संख्या–5/बजट 1–04/2016 सा0–......19........

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई -मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 24.6. 2016

विषयः– बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिये कुल ₹ 64,15,68,500/– (चौसठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़सठ हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001–जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिये कुल ₹ 64,15,68,500/– (चौसठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़सठ हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. **आवंटित राशि से ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गठित कार्यालय हेतु भी वेतन सहित सभी मदों में व्यय किया जाएगा।**

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

Des/bir/Alot-093/latter/p-14

संख्या–5/बजट 1–04/2016 सा0–....................

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 2016

विषयः– बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिये कुल ₹ 64,15,68,500/– (चौसठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़सठ हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिये कुल ₹ 64,15,68,500/– (चौसठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़सठ हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. **आवंटित राशि से ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गठित कार्यालय हेतु भी वेतन सहित सभी मदों में व्यय किया जाएगा।**

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या–5/बजट 1–04/2016 सा0–..........19............../ पटना, दिनांक– 24.6./2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

Des/bir/Alot-093/latter/p-14

वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–0001–जिला प्रशासन) आवंटन :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग–वेतन एवं भत्ते
	कूट संख्या --	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	110,00,000	120,00,000	10,00,000	2,00,000	1,00,000	**243,00,000**
2	भोजपुर	100,00,000	105,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**210,80,000**
3	बक्सर	60,00,000	62,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**127,80,000**
4	कैमूर(भभुआ)	60,00,000	62,00,000	3,00,000	1,00,000	80,000	**126,80,000**
5	औरंगाबाद	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
6	मुजफ्फरपुर	100,00,000	102,00,000	6,00,000	2,00,000	1,00,000	**211,00,000**
7	सीतामढ़ी	100,00,000	102,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**207,80,000**
8	पू0चम्पारण	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
9	प0चम्पारण	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
10	शिवहर	40,00,000	42,00,000	2,00,000	1,00,000	80,000	**85,80,000**
11	वैशाली	100,00,000	105,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**210,80,000**
12	दरभंगा	100,00,000	102,00,000	4,00,000	2,00,000	1,00,000	**209,00,000**
13	मधुबनी	100,00,000	102,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**207,80,000**
14	समस्तीपुर	100,00,000	102,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**207,80,000**
15	सारण	100,00,000	102,00,000	4,00,000	2,00,000	1,00,000	**209,00,000**
16	सिवान	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
17	गोपालगंज	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
18	भागलपुर	100,00,000	102,00,000	4,00,000	2,00,000	1,00,000	**209,00,000**
19	बांका	60,00,000	62,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**127,80,000**
20	मुंगेर	80,00,000	82,00,000	4,00,000	2,00,000	1,00,000	**169,00,000**
21	लक्खीसराय	40,00,000	42,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**87,80,000**
22	जमुई	40,00,000	42,00,000	4,00,000	1,00,000	70,000	**87,70,000**
23	खगड़िया	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
24	बेगुसराय	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
25	पूर्णियां	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	1,00,000	**168,00,000**
26	कटिहार	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
27	अररिया	60,00,000	62,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**127,80,000**
28	किशनगंज	50,00,000	42,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**97,80,000**
29	सहरसा	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	1,00,000	**168,00,000**
30	मधेपुरा	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
31	सुपौल	60,00,000	62,00,000	4,00,000	1,00,000	70,000	**127,70,000**
32	रोहतास	100,00,000	105,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**210,80,000**
33	नालन्दा	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
34	गया	100,00,000	102,00,000	4,00,000	2,00,000	1,00,000	**209,00,000**
35	नवादा	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
36	जहानाबाद	80,00,000	82,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**167,80,000**
37	अरवल	60,00,000	62,00,000	3,00,000	1,00,000	80,000	**126,80,000**
38	शेखपुरा	40,00,000	42,00,000	4,00,000	1,00,000	80,000	**87,80,000**
	कुल योग –	**2980,00,000**	**3063,00,000**	**156,00,000**	**45,00,000**	**32,00,000**	**6276,00,000**

contd....

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन :-

क्र0 सं0	जिला का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी/पोशाक	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल
	कूट संख्या -	06 01	13 01	13 03	13 04	13 06	28 01	
10	11	12	12	12	13	14	16	18
1	पटना	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**244,74,500**
2	भोजपुर	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**212,54,500**
3	बक्सर	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**129,54,500**
4	कैमूर(भभुआ)	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**128,54,500**
5	औरंगाबाद	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,54,500**
6	मुजफ्फरपुर	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**212,74,500**
7	सीतामढ़ी	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**209,54,500**
8	पू0चम्पारण	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,54,500**
9	प0चम्पारण	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,54,500**
10	शिवहर	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**87,54,500**
11	वैशाली	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**212,54,500**
12	दरभंगा	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**210,74,500**
13	मधुबनी	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**209,54,500**
14	समस्तीपुर	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**209,54,500**
15	सारण	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**210,74,500**
16	सिवान	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,54,500**
17	गोपालगंज	12,000	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,66,500**
18	भागलपुर	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**210,74,500**
19	बांका	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**129,54,500**
20	मुंगेर	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**170,74,500**
21	लक्खीसराय	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**89,54,500**
22	जमुई	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**89,44,500**
23	खगड़िया	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,54,500**
24	बेगूसराय	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,54,500**
25	पूर्णियां	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,74,500**
26	कटिहार	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,54,500**
27	अररिया	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**129,54,500**
28	किशनगंज	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**99,54,500**
29	सहरसा	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,74,500**
30	मधेपुरा	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**169,54,500**
31	सुपौल	0	1,43,000	17,500	14,000	0	0	**129,44,500**
32	रोहतास	0	9,43,000	1,00,000	1,00,000	15,000	1,80,000	**224,18,000**
33	नालन्दा	0	11,43,000	1,00,000	1,20,000	21,000	2,00,000	**183,64,000**
34	गया	0	11,43,000	1,50,000	1,50,000	30,000	3,00,000	**226,73,000**
35	नवादा	0	5,43,000	1,00,000	1,00,000	15,000	1,80,000	**177,18,000**
36	जहानाबाद	0	6,43,000	1,00,000	1,00,000	15,000	1,80,000	**178,18,000**
37	अरवल	0	5,43,000	1,00,000	1,00,000	15,000	1,80,000	**136,18,000**
38	शेखपुरा	0	5,43,000	1,00,000	1,00,000	15,000	1,80,000	**97,18,000**
	कुल योग -	**12,000**	**99,34,000**	**12,92,500**	**12,04,000**	**1,26,000**	**14,00,000**	**6415,68,500**

(चौसठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़सठ हजार पाँच सौ रूपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग